Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 7, July - 2026

DOIs:10.2018/SS/202607004 --:-- Research Paper / Article / Review

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: भूमिका , प्रभाव और चुनौतियाँ

रितु[1], डॉ मीनू[2] ,
[1] शोधार्थी, राजनीति विभाग,बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय , अस्थल बोहर, रोहतक , हरियाणा,
ईमेल: rituranipladwal127@gmail.com,
[2]प्रोफेसर, राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग , बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय , अस्थल बोहर, रोहतक , हरियाणा,
ईमेल: drmeenusharma@rediffmail.com ,

सार: किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता, धर्म, रंग, लिंग या सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, सभी के पास कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं जिन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। न्याय, समानता और मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारों का पालन किया जाना ज़रूरी है। मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए, 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत भारत में एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था के रूप में 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का गठन किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, नीतिगत बदलावों का सुझाव देना, मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय व संवैधानिक मानवाधिकार नियमों के पालन पर नज़र रखना शामिल रहा है। हालाँकि, उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद, कई संस्थागत और कानूनी मुद्दों के कारण आयोग की कार्यक्षमता सीमित रही है। यह अध्ययन भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका, प्रभाव और चुनौतियों का मूल्यांकन करता है और साथ ही इसके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देता है।

शब्द संकेत : मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग , मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकारों का उल्लंघन, भारत, संवैधानिक अधिकार ।

1. परिचय

मानवाधिकार वे बुनियादी आज़ादी और अधिकार हैं जो हर इंसान को सिर्फ़ इंसान होने के नाते मिलते हैं। इनमें जीवन, आज़ादी, समानता, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और भेदभाव व यातना से मुक्ति का अधिकार शामिल है। इनमें से कई अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग III में बताए गए मौलिक अधिकारों के तहत सुरक्षा दी गई है।

हालांकि संवैधानिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, फिर भी हिरासत में हिंसा, भेदभाव, बाल श्रम, तस्करी, बंधुआ मज़दूरी, महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, सांप्रदायिक झगड़ों और प्रशासनिक ज्यादतियों के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहता है। संसद के 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम ने मानवाधिकारों की देखरेख और सुरक्षा के लिए एक निष्पक्ष संस्था की ज़रूरत को समझा था।

भारत में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली प्रमुख संस्था के तौर पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिसर्च, सुझाव, जन-जागरूकता और नीतिगत सिफारिशों के ज़रिए मानवाधिकारों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने का काम करती है।

2. साहित्य समीक्षा

मानवाधिकारों की रक्षा कई तरीकों से की जा सकती है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत, ऐसी कार्यकारी शाखा जो अंततः चुने हुए प्रतिनिधियों के अधीन हो, और एक बहुलवादी व जिम्मेदार संसद - ये सभी संस्थागत आधार ज़रूरी तो हैं, लेकिन अकेले काफी नहीं हैं। इन बुनियादी "संस्थाओं" के अलावा, कुछ और प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं जिनके विकास और मजबूती से मानवाधिकारों को लागू करने के तंत्र में सुधार होगा। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हाल ही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठनों के रूप में उभरे हैं। इन संगठनों के विकास को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और वैश्विक स्तर पर दान देने वाले समुदाय के अन्य दानदाताओं ने आर्थिक और तकनीकी, दोनों तरह से सीधे समर्थन और प्रोत्साहन दिया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को बनाए रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में देखता है (इनाम, 2010)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य काम हाशिए पर रहने वाले समूहों - जैसे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, धार्मिक, जातीय और नस्लीय अल्पसंख्यक, दिव्यांग लोग, दोषी, शरणार्थी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग और अन्य - के खिलाफ

होने वाले मानवाधिकार उल्लंघनों से लगातार लड़ना है। राष्ट्रीय कानून का मकसद अपराध के पीड़ितों की सुरक्षा करना, उन्हें राहत दिलाना और अपराधियों के लिए उचित सजा तय करना भी है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के कुशल कामकाज के जरिए मानवाधिकार समर्थक राष्ट्रीय कानूनों को भी बढ़ावा देते हैं। हालांकि, आज भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं (आर. शंकर, 2019)। कई बाधाओं के बावजूद, पीड़ितों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बहुत सक्रिय रही है। इसके बावजूद, कई तरह की पाबंदियों और संवैधानिक सीमाओं के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बेबस संस्था है। साथ ही, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। यह केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर निर्भर है। बहुत कम ग्रांट मिलने के कारण आयोग के कामकाज में अक्सर रुकावटें आती हैं (शत्रुघ्न, 2019)। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और उनकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' को 28 सितंबर 1993 से पिछली तारीख से लागू किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन समाज में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में एक फ़ायदेमंद और रचनात्मक कदम था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोगों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, भले ही मानवाधिकार उल्लंघनों के बेहतर समाधान के लिए अभी और बहुत कुछ किया जाना बाकी है (धालीवाल, 2025)। वे लोगों के अधिकारों और राज्य की शक्ति के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार अपनी सीमाओं के भीतर रहे और नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतें दर्ज कर सकें। अपनी विशाल और विविध आबादी के कारण, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत को कुछ खास तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारत के शासन के आकार और जटिलता को देखते हुए, मानवाधिकारों की रक्षा करने और उल्लंघनों से निपटने के लिए मज़बूत प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। इस संबंध में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शोध करने, जानकारी प्रदान करने और सलाह देने की ज़िम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हालाँकि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सफल कामकाज के लिए उसकी पहुँच और क्षमताओं का विस्तार करना बहुत ज़रूरी है (खन्ना, 2024)। 1993 के 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम' के तहत बनी एक कानूनी संस्था होने के बावजूद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अपनी सिफारिशों को लागू करवाने की क्षमता कई ढांचागत और कामकाज से जुड़ी समस्याओं के कारण सीमित हो जाती है। कानूनी और व्यावहारिक (डॉक्ट्रिनल-कम-एम्पिरिकल) तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय नियमों (जैसे नेल्सन मंडेला नियम और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता) के साथ-साथ कानूनी ढांचे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निष्कर्षों और अदालती फैसलों की जांच करता है।

हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेलों में भीड़भाड़, हिरासत में मौत और कानूनी मदद की कमी जैसी समस्याओं को हल करने की पहल की है, लेकिन राज्य के अधिकारी अक्सर उसकी सिफारिशों को नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें केवल आंशिक रूप से ही लागू करते हैं। कैदियों के अधिकारों की रक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सफल कामकाज के लिए, इसके अधिकार क्षेत्र को कानूनी बदलावों, एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग और अधिक जवाबदेही प्रक्रियाओं के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए (यादव, 2025)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान किसी देश में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों की निगरानी और उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, एक सफल राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के रूप में काम करने के लिए उन्हें 1993 के "पेरिस सिद्धांतों" का पालन करना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान 2023 में अपनी "A" ग्रेड मान्यता को नवीनीकृत करने की तैयारी कर रहा है। यह पहले बताए गए सिद्धांतों के संदर्भ में संस्थान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है (शांताकुमार, 2023)।

3. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य हैं: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका और कार्यों का विश्लेषण करना, भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना और आयोग के सामने आने वाले मुद्दों की पहचान करना।

4. शोध पद्धति

इस अध्ययन के लिए निम्नलिखित सेकेंडरी स्रोतों का आधार के रूप में उपयोग किया गया: किताबें, शोध लेख, सरकारी प्रकाशन, अदालती फैसले, एकेडमिक जर्नल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टें। अध्ययन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है।

5. स्थापना और कानूनी ढांचा

12 अक्टूबर 1993 को, 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। यह अधिनियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए पारित किया गया था, खासकर घरेलू मानवाधिकार संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र के जोर को ध्यान में रखते हुए।

एक वैधानिक निकाय के रूप में, आयोग स्वतंत्र है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निम्नलिखित शामिल होते हैं: महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के पदेन सदस्य; न्यायिक अनुभव वाले सदस्य; मानवाधिकारों के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले सदस्य; और अध्यक्ष, जो कानून में संशोधन के अनुसार या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश।

6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ और कार्य

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कई महत्वपूर्ण कार्य करने की अनुमति देता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच: आयोग इन मामलों की शिकायतों की जाँच कर सकता है: हिरासत में मौत, पुलिस की बर्बरता, गैर-कानूनी हिरासत, यातना, फर्जी मुठभेड़ और सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिकारों का उल्लंघन। यह शिकायतों के आधार पर, अपनी पहल पर या अदालत के आदेशों के जवाब में जाँच शुरू कर सकता है। संवैधानिक सुरक्षा की जाँच: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के लिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है। जेलों का निरीक्षण: रहने की स्थितियों का आकलन करने और सुधार का सुझाव देने के लिए, आयोग अक्सर जेलों, किशोर सुधार गृहों, हिरासत केंद्रों और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करता है। मानवाधिकार शिक्षा: आयोग के मुख्य कार्यों में से एक सेमिनार, कार्यशालाओं, प्रकाशनों, विश्वविद्यालय की साझेदारियों, मीडिया अभियानों और मानवाधिकार साक्षरता के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है। अनुसंधान और नीतिगत सिफारिशें: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उभरते हुए मानवाधिकार मुद्दों पर शोध करता है, जिनमें शामिल हैं: महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, विकलांगों के अधिकार, पर्यावरणीय अधिकार, डिजिटल गोपनीयता, शरणार्थियों की सुरक्षा। अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप: आयोग संबंधित अदालत की सहमति से महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों से जुड़े मामलों में शामिल हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देना: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा , और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध को लागू करने को बढ़ावा देता है।

7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कई तरीकों से नागरिकों की रक्षा करता है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक: सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को सुलझाकर, आयोग अनुच्छेद 14, 19, 21 और अन्य कानूनों के तहत सुरक्षित संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ निगरानी: यह पुलिस, जेल अधिकारियों और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के मामलों पर नज़र रखता है। सलाहकार संस्था: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों से जुड़ी नीतियों में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। मानवाधिकारों की जानकारी: आयोग शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कमज़ोर वर्गों की निगरानी: महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

8. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रभाव

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से ही अहम योगदान दिया है। कस्टडी में हिंसा में कमी: जवाबदेही बेहतर करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की कार्रवाई और कस्टडी में होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग के लिए व्यापक नियम बनाए हैं। पीड़ितों को मुआवज़ा: आयोग ने गलत तरीके से हिरासत में रखने, कस्टडी में मौत और पुलिस की ज्यादती से जुड़े कई मामलों में आर्थिक मुआवज़े की सिफारिश की है। जेल सुधार: सिफारिशों से मेडिकल सुविधाएं, साफ़-सफाई, भीड़-भाड़ की समस्या, कानूनी मदद और रहने की स्थितियों में सुधार हुआ है। लोगों में जागरूकता बढ़ी: यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर मानवाधिकार शिक्षा को काफी बढ़ावा मिला है। नीतिगत सुधार: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाल श्रम, तस्करी, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, दिव्यांगों के अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी सरकारी नीतियों को प्रभावित किया है। लोकतांत्रिक शासन को मज़बूत करना: आयोग ने जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून के शासन को मज़बूत किया है।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर, 1993 को अपनी स्थापना से लेकर 30 नवंबर, 2024 तक कई स्पॉट जांच, खुली सुनवाई और कैंप बैठकें की हैं। तीन दशकों से ज़्यादा समय में, इसने 23,14,794 मामले दर्ज किए, 23,07,587 मामलों का समाधान किया (जिसमें स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किए गए 2,880 मामले भी शामिल हैं), और मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को लगभग 256.57 लाख रुपये का आर्थिक मुआवज़ा देने की सिफारिश की। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले साल, यानी 1 दिसंबर, 2023 से 30 नवंबर, 2024 के दौरान 65,973 मामले दर्ज किए और 66,378 मामलों का समाधान किया; इनमें पिछले सालों से चले आ रहे मामले भी शामिल हैं।

पिछले साल इसी दौरान, 109 मामलों में खुद संज्ञान लेने के बाद, इसने मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को ₹17,24,40,000 की आर्थिक मदद देने की सिफारिश की। इसके अलावा, आयोग ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक कैंप भी आयोजित किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रयासों को दिखाने वाले कई बिलों, कानूनों, सम्मेलनों, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, 31 सलाहों और 100 से ज़्यादा प्रकाशनों (जिनमें मासिक न्यूज़लेटर और मीडिया रिपोर्ट शामिल हैं) की समीक्षा से संगठन का प्रभाव और भी स्पष्ट होता है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, विधवाओं के अधिकार, भोजन, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकार और पर्यावरण को नुकसान जैसे कुछ विषय इन चेतावनियों में शामिल हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चौदह स्पेशल रैपोर्टियर (विशेष रिपोर्टर) चुने हैं। भविष्य की कार्रवाई के लिए सुझावों के साथ रिपोर्ट तैयार करने के मकसद से, ये रैपोर्टियर शेल्टर होम, जेलों और ऐसी ही दूसरी जगहों का दौरा करते हैं (आयोग, 09 दिसंबर 2024)।

9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने चुनौतियां:

अपनी सफलताओं के बावजूद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अभी भी कई अहम बाधाओं को पार करना है। सिफारिशी प्रकृति: इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं, जो इसकी मुख्य कमियों में से एक है। सरकारें इनके लागू करने में देरी कर सकती हैं या इन्हें नज़रअंदाज़ कर सकती हैं।

सीमित अधिकार क्षेत्र: सशस्त्र बलों पर आयोग का अधिकार अभी भी सीमित है, और यह निजी व्यक्तियों की सीधे जांच नहीं कर सकता जब तक कि इसमें कोई सरकारी कर्मचारी शामिल न हो या सशस्त्र बल सामान्य सरकारी अधिकारियों की तरह इसमें शामिल न हों। मामलों के निपटारे में देरी: सीमित स्टाफ और संसाधनों के कारण बड़ी संख्या में शिकायतों का बैकलॉग और देरी होती है। लागू करने की शक्ति का अभाव: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उल्लंघन करने वालों को दंडित करने या अपने फैसलों को लागू करने में असमर्थ है। इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। संसाधनों की कमी: अपर्याप्त कर्मचारी, बजट की कमी और जांचकर्ताओं की कमी से कामकाज की प्रभावशीलता कम हो जाती है। राजनीतिक प्रभाव: नियुक्तियों, स्वतंत्रता और स्वायत्तता को लेकर समय-समय पर सवाल उठाए गए हैं। विश्वसनीयता के लिए संस्थागत स्वतंत्रता जरूरी है। जन जागरूकता: आयोग और शिकायत प्रक्रिया के बारे में अभी भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। मानवाधिकारों से जुड़ी बढ़ती चुनौतियां: नई चिंताओं में डेटा गोपनीयता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर निगरानी, जलवायु परिवर्तन, प्रवासन और शरणार्थियों की सुरक्षा शामिल हैं। इनके लिए नई संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है।

10. निष्कर्ष

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है। जांच, नीतिगत सुझाव, जागरूकता अभियान, जेलों का निरीक्षण और वकालत के ज़रिए, आयोग ने लोकतांत्रिक शासन को बेहतर बनाने और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा में बड़ी मदद की है। फिर भी, कई संरचनात्मक कमियां—जैसे इसके फैसलों का केवल सुझाव के तौर पर होना, लागू करने की सीमित क्षमता, अधिकार-क्षेत्र की सीमाएं और संसाधनों की कमी—इसकी कुल प्रभावशीलता को कम करती हैं। जैसे-जैसे तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक बदलावों के कारण मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी कानूनी सुधारों, ज़्यादा संस्थागत आज़ादी, बेहतर लागू करने के तरीकों और लोगों की ज़्यादा भागीदारी के ज़रिए खुद को विकसित करना होगा। शुरुआत से ही, सरकारी संस्था होने के कारण इस आयोग को लेकर लोगों में काफी अविश्वास था। लेकिन समय के साथ, इसने अपनी निष्ठा और ईमानदारी साबित की है। आयोग के प्रस्ताव दिखाते हैं कि वह आज़ादी और निष्पक्षता से काम करने में सक्षम है। राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को लागू करने के मुश्किल काम में यह आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, भले ही यह एक छोटा कदम हो। भारत के बड़े भौगोलिक क्षेत्र, विशाल आबादी और जटिल सामाजिक ढांचे को देखते हुए, अधिकारों के उल्लंघन के मामले - चाहे वे सरकारी एजेंसियों से जुड़े हों या निजी व्यक्तियों या समूहों से - तमाम कोशिशों के बावजूद हो सकते हैं।

संदर्भ सूचि

1. आयोग, एन. अच् (09 दिसंबर 2024). भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 10 दिसंबर 2024 को विज्ञान भवन में मनाए जाने वाले मानवाधिकार दिवस पर मुख्य अतिथि होंगी। भारत सरकार।
2. धालीवाल, जी. (2025). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संगठन, कार्य और शक्तियां: एक अवलोकन। जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 68-73।
3. इनाम, अस. टी. (2010). भारत में मानवाधिकारों की रक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका। SSRN, 1-20।
4. खन्ना, के. (2024). भारत के मानवाधिकार परिदृश्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स लॉ रिव्यू, 1-8।

5. आर. शंकर. (2019). भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य और जिम्मेदारियां। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़, 858-862।
6. शांताकुमार, आर. के. (2023). राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थिति से संबंधित पेरिस सिद्धांतों के संदर्भ में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रभावशीलता का आकलन। द एज ऑफ़ ह्यूमन राइट्स जर्नल, 1-32।
7. शत्रुघ्न. (2019). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: समस्याएं और संभावनाएं। जर्नल ऑफ़ एडवांसेज एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन, 778-784।
8. यादव, वी. ए. (2025). कैदियों के अधिकारों की रक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका. इंडियन जर्नल ऑफ़ लॉ, 21-28.